

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष / दिनांक 31/03/2015

1. अधिकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो -

2. वर्तमान धारित पद -

3. वर्तमान वेतन - मूल वेतन 6430 + 2004 9588 = 16918

4. अगली वेतनवृद्धि की दिनांक 01.07.2015

उस जिले उप संभाग तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		वर्तमान मूल	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद पट्टा, बंधक, विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1. ग्राम कोडा तहसील - अजमेर जिला - अजमेर	2. 15x20 अबान शाम - अजमेर (सर्गोदिक) पंजिक	3. 3 उर्बिया पंजिक	4. 14,00,000/-	5. पिता के नाम - श्री काशीराम - पिला	6. खिराब	7. 50 हजार	8.

1 जहां लागू न हो काट दीजिए।

2 जहां ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3 इसमें अल्पकालीन पट्टा भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर.....

नाम - ...

पद नाम

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उन्हें विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

अचल संपत्ति का विवरण वर्ष / दिनांक 31-03-2015

1. अधिकारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो - शुभशिवलाल साहू

2. दत्तमान धारित पद - सचिव

3. वर्तमान वेतन - मूल वेतन 6430+9588 = 16018


4. अगली वेतनवृद्धि की दिनांक 01.07.2015

उस जिले, उप-संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरा		वर्तमान मूल	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद पट्टा, बंधक, विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1. ग्राम - लामकण्ड तहसील - कुंसावा जिला - मुर्शिदाबाद	2. 20x25 ग्राम क. पंचा. लामकण्ड 25x45 कुंसावा	3. 5 बीघा भूमि	4. 25 लाख	5. पिता के पास थी 25 लाख पिका एवं स्वयं के पास	6. विरासत एवं स्वयं की	7. 80 हजार	8.

1 जहां लागू न हो काट दीजिए।

2 जहां ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3 इसमें अल्पकालीन पट्टा भी सम्मिलित हैं।

हस्ताक्षर.....


नाम - शुभशिवलाल साहू

पद नाम - सचिव

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उन्हें विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

